जेएम फाइनेंशियल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

JM FINANCIAL

जेएम फाइनेंशियल कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालयः 7वीं मंजिल, एनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
संपर्क व्यक्तिः 1. प्रशांत पांडे–7054013999, 2. रोहन सावंत– 9833143013, 3. प्रशांत मोंडे – 022– 6224 1676, वेबसाइट . **www.jmfinancialarc.com**

ई-नीलामी बिक्री सूचना- नवीन बिक्री

पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 29 मार्च, 2023 के असाइनमेंट एग्रीमेंट ("असाइनमेंट एग्रीमेंट") के माध्यम से वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") की धारा 5 (1) (बी) के अंतर्गत अंतर्निहित सुरक्षा हित के साथ–साथ उस पर सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज के साथ ऋण (नीचे उल्लिखित ऋण सहित) का एक पूल असाइन किया है,त्रजो जेएमएफआरसी (जेएम) (जिसे यहां असाइनी के रूप में संदर्भित किया गया है) के पक्ष में जेएमएफआरसी – अरण्य–ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहा है। यह सूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को असाइनमेंट / सेवा समझौते के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रियाओं की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता/ संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है। उधारकर्ता/ऋणकर्ताओं से देय राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अचल संपत्ति जो भौतिक कब्जे में है, उसे 'जहां है जैसा है' के आधार पर, 'जो कुछ भी है जैसा है' के आधार पर, खरीद के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

ऋण कोड/शाखा/ उधारकर्ता (ओं) / सह–उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (ओं)	मांग सूचना दिनांक और राशि	संपत्ति का पता–अंतिम	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (21–08–2024)
ऋण कोड संख्या 06000007764, लखनऊ (शाखा), नलनी कांत (उधारकर्ता), मीनू सिंह(सह–उधारकर्ता 1)	दिनांकः 08–10–2021, रु. 3,77,689/– (रु. तैंतीस लाख सत्ताहत्तर हजार छह सौ नवासी मात्र)	संपत्ति का सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश जिसका विस्तार हैः–गांव– देवरिया, परगना तहसील और जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश – 226020 में प्लॉट नंबर 39 और प्लॉट नंबर 42 का हिस्सा, खसरा नंबर 359 का हिस्सा, सीमाएँः– उत्तरः 25 फीट सड़क दक्षिणः प्लॉट नंबर 17 पूर्वः 20'–0' फीट चौड़ी कच्ची सड़क पश्चिमः प्लॉट नंबर 37	रु. 39,40,000/– (रु. उनतालीस लाख चौलीस हजार मात्र)	रु. 3,94,000/– (रु. तीन लाख चौरानबे हजार मात्र)	रु. 49,91,145/– (रु. उनचास लाख इक्यानब्बे हजार एक सौ पैंतालीस मात्र)
ऋण कोड संख्याः 06000006451, लखनऊ (शाखा), श्री बायो–केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता), प्रकाश फूलचंद छाबड़ा (सह–उधारकर्ता 1) युक्ति छाबड़ा (सह–उधारकर्ता 2) अंजलि प्रकाश छाबड़ा (गारंटर 1)	दिनांकः 26–09–2019, रु1,52,69,044/– (रु. एक करोड़ बावन लाख उनहत्तर हजार चौवालीस मात्र)	संपत्ति का सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश जिसका विस्तार हैः वाणिज्यिक इकाई संख्या जीएफ 004, सीयरस्टॉवर में ओमेक्स हाइट पर प्लॉट संख्या टीसीजी2/2 और टीसीजी5/5, विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश–226010	रु. 99,50,000/– (रु. निन्यानबे लाख पचास हजार मात्र)	रु. 9,95,000/– (रु. नौ लाख पंचानबे हजार मात्र)	रु. 3,09,62,560/– (रु. तीन करोड़ नौ लाख बासठ हजार पांच सौ साठ मात्र)

ई–नीलामी की तिथिः 27–09–2024 को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ),
बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 26–09–2024 को शाम 4.00 बजे से पहले

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.jmfinancialarc.com/ Home/Assetsforsale OR https://www.bankauctions.in पर दिए गए लिंक को देखें।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री नोटिस,

उपर्युक्त उधारकर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तारीख से पहले तक अर्जित ब्याज के साथ धारा 13(2) में उल्लिखित राशि का पूरा भुगतान करें। ऐसा न करने पर संपत्ति को नीलाम/बेच दिया जाएगा और शेष बकाया, यदि कोई हो, को ब्याज और लागत के साथ उधारकर्ता/गारंटर से वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 24.08.2024 स्थानः उत्तर प्रदेश **हस्ता /– (प्राधिकृत अधिकारी) (अरण्य – ट्रस्ट)**

GMR Ambala- Chandigarh Expressways Pvt. Ltd.

GMR
25/1 SKIP House, Museum Road, Bangalore-560025 CIN: U45203KA2005PTC036773
Promoters of the Concessionaire; GMR Energy Ltd. & GMR Airports Infrastructure Ltd.

PUBLIC NOTICE ON REVISED USER FEE (TOLL) RATES AT DAPPAR TOLL PLAZA (KM 23+100) APPLICABLE FROM 01 SEPTEMBER 2024

1. The public are hereby informed that pursuant to approval of revised user fee rates vide letter No NHAI/PIU/CHD/11084/Conc/2635 dated 21 August 2024 of NHAI, the user fee rates for the use of section from Km 5+735 to 39+960 of NH 152(old NH-22) and Km 0+000 to Km 0+871 of NH-205 (old NH-21) Ambala-Chandigarh section in the States of Haryana and Punjab respectively are going to be revised as under w.e.f. 01 September 2024 at Dappar Toll Plaza (Chainage 23+100) Near Village Dappar , District SAS Nagar State of Punjab.

Category of Vehicle	Fee for single Journey*	Fee for return Journey within a day*	Fee for Monthly Pass*	Fee for Local Personal Traffic*	Fee for Local Commercial Traffic*
Car/Jeep/Van	50	75	1490	10	25
Light Commercial vehicle (LCV) Mini Bus	85	130	2610	NA	45
Truck/ Bus	175	260	5220	NA	85
Multi Axle Vehicle (> 2 axle)	280	420	8390	NA	140
Earth Moving equipment and Heavy Construction machinery	375	560	11185	NA	185

2. The above rates are applicable for a complete length of 35+096 Km at Dappar Toll Plaza
3. The following concessions are available at toll plaza (Through Fastag).
   I. Return journey within 24 hrs from time of payment for all categories of vehicle (discount 50%)
   II. 30 or more single journeys in a calendar month for all categories of vehicle.
   III. Local personnel traffic; Twenty five percent of the applicable fee for the specific category of vehicles.
   IV. Local commercial traffic; Fifty percent of the applicable fee for the specific category of vehicle.
   V. Double fee shall be charged from vehicles without Fastag/ Blacklisted Fastag/ Invalid Fastag or insufficient balance in Fastag as per the guidelines of National Highway Authority of India.
   VI. Charges from overloaded vehicles will be charged as per NHAI Circular: NHAI/13013/CO/2016-17 dated 19 January 2017.
4. The list of exempted vehicle as given in the Fee notification dated 21 November 2008.
5. As per the Concession Agreement dated 16 November 2005 the Concession period ends on 17 July 2027 (subject to the provisions of the Concession Agreement). The user fee(toll) rates shall be reduced to 40% after the end of Concession period.
6. For viewing the fee notification dated 21 November 2008 published in the Gazette. Letter of NHAI NHAI/PIU/CHD/11084/Conc/2635 dated 21 August 2024 containing approval of revised rates and provisions in the Concession Agreement, the website: www.nhtis.org may be visited.
7. Names and address are as under, for any enquiry and /or giving complaints/suggestions:-

Name of Representative	Concessionaire	IE	PIU of NHAI
Name	Mr. Iqbal Singh	Mr. Neeraj Gupta	Mr. Pradeep Atri
Address	M/s. GMR Ambala-Chandigarh Expressways Pvt Ltd, KM 23+100, Dappar Toll Plaza, Near Ammunition Depot, Tehsil Dera Bassi, District SAS Nagar (Punjab) – 140506	Team Leader M/s. MSV International Inc. In Association with Mahamarg infra consultant's Pvt Ltd House No 99, 1st Floor Silver City, Zirakpur.	Project Director NHAI, PIU - Chandigarh, Bay No 35-38, 3rd Floor, Sector-4 Panchkula
Contact No	9878822160	9815219790	9416070706

* All the above rates are applicable through Fastag only.

GMR GROUP-ACE/6/PREM ASSOCIATES

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

JM FINANCIAL

निगमित पहचान संख्या : U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालय : 7वां तल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
संपर्क व्यक्ति : 1. प्रशांत पांडे– 7054013999, 2. रोहन सावंत– 9833143013, 3. प्रशांत मोंडे– 022 – 6224 1676 वेबसाइट– www.jmfinancialarc.com

ई–नीलामी विक्रय सूचना – आगामी विक्रय

कि पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''सरफॉएसि अधिनियम'') की धारा 5 (1) (बी) के अंतर्गत जेएमएफएआरसी (जेएम) (यहां इसमें असाइनी के रूप में संदर्भित) जेएमएफएआरसी – अरण्य – ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत्, के पक्ष में एक असाइनमेंट अनुबंध दिनांक 29 मार्च 2023 (''असाइनमेंट अनुबंध'') के माध्यम से अंतर्निहित प्रतिभूति हित के साथ उसके सृजित सभी अधिकारों, स्वामित्व एवं हित सहित ऋण का एक पूल (नीचे उल्लिखित ऋण सहित) सौंपा है। यह अधिसूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को असाइनमेंट / सेवा अनुबंध के माध्यम से सभी परिचालनों और प्रक्रियागत कार्यवाहियों को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता / संग्रहकर्ता एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत एवं नियुक्त किया गया है।

उधारकर्ता / ओं से देय राशि की वसूली के लिए सरफॉएसि अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे उल्लिखित प्रतिभूति संपत्ति का अधिग्रहण करने के अनुपालन में, यहां नीचे विवरणितानुसार, अचल संपत्तियों, जो भौतिक अधिग्रहण के अधीन है, के ''जैसी है जहां है आधार'', ''जैसी है जो है आधार'' और ''वहां जो कुछ भी है आधार'' पर क्रयार्थ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्ताव निमंत्रित किए जाते हैं, जिन संपत्तियों का विवरण यहां नीचे दिया गया है :

ऋण कोड/शाखा/उधारकर्ता (ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	संपत्ति पता–अंतिम	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (21–08–2024)
ऋण कोड संख्याः 24000003363, कानपुर (शाखा), नील बहादुर (उधारकर्ता), राधिका देवी (सह–उधारकर्ता 1)	दिनांकः 28–08–2019, रु. 5,64,415/– (रुपये पाँच लाख चौसठ हजार चार सौ पंद्रह मात्र)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जिसका विस्तार निम्नानुसार है :– प्लॉट संख्या 13 ए अरजी संख्या 37, ग्राम– कुरसौली कानपुर नगर उत्तर प्रदेश 208001, सीमाएं :– उत्तरः अन्य का प्लॉट, दक्षिणः प्लॉट संख्या 17, पूर्व : 20'–0' फीट चौड़ी कच्ची सड़क, पश्चिमः प्लॉट संख्या 37	रु. 2,43,000/– (रुपये दो लाख तैंतालीस हजार मात्र)	रु. 24,300/– (रुपये चौबीस हजार तीन सौ मात्र)	रु. 11,14,113/– (रुपये ग्यारह लाख चौदह हजार एक सौ तेरह मात्र)
ऋण कोड संख्या : 24000003364, कानपुर (शाखा), ओमकार छोटे (उधारकर्ता), अनीता देवी (सह–उधारकर्ता 1)	दिनांक : 20–05–2019, रु. 7,14,675/– (रुपये सात लाख चौदह हजार छह सौ पिचहत्तर मात्र)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जिसका विस्तार निम्नानुसार है :– प्लॉट नंबर 13, अरजी नंबर 37 ग्राम– कुरसौली कानपुर नगर उत्तर प्रदेश 208001, सीमाएं:– उत्तरः दूसरे का प्लॉट, दक्षिणः प्लॉट नंबर 17, पूर्वः 20'–0' फीट चौड़ा कच्चा रोड, पश्चिमः प्लॉट नंबर 37	रु. 3,54,294/– (रुपये तीन लाख चौव्वन हजार दो सौ चौरानबे मात्र)	रु. 35,429.4/– (रुपये पैंतीस हजार चार सौ उनतीस और चालीस पैसे मात्र)	रु. 13,65,189/– (रुपये तेरह लाख पैंसठ हजार एक सौ नवासी मात्र)
ऋण कोड संख्या : 06000003547, लखनऊ (शाखा), दीप मिश्रा (उधारकर्ता), खुशाली अवस्थी (सह उधारकर्ता 1)	दिनांक : 24–10–2018, रु. 10,30,571/– (रुपये दस लाख तीस हजार पांच सौ इकहत्तर मात्र)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जिसका विस्तार निम्नानुसार है :– प्लॉट संख्या–102, खसरा संख्या 184, मोहारी कला खुर्द मोहनलाल गंज, लखनऊ– 226020, सीमाएं:– उत्तरः सड़क 25 फीट चौड़ी, दक्षिणः प्लॉट संख्या 17, पूर्वः 20'–0' फीट चौड़ी कच्ची सड़क, पश्चिमः प्लॉट संख्या 37	रु. 9,00,000/– (रुपये नौ लाख मात्र)	रु. 90,000/– (रुपये नब्बे हजार मात्र)	रु. 22,29,483/– (रुपये बाईस लाख उनतीस हजार चार सौ तिरासी मात्र)
ऋण कोड संख्या : 12000004359, वाराणसी (शाखा), अखिलेश कुमार भारद्वाज (उधारकर्ता), किरण देवी (सह उधारकर्ता 1) आशीष भारद्वाज (गारंटर 4)	दिनांक : 20–07–2021, रु. 36,18,289/– (रुपये छत्तीस लाख अट्ठारह हजार दो सौ नवासी मात्र)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जिसका विस्तार निम्नानुसार है :– अरजी नंबर 285, मौजा खजुही, परगना शिवपुर वार्ड सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत– 221007, सीमाएं:– उत्तरः 8 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, दक्षिणः प्लॉट नंबर 17, पूर्वः 20'–0' फीट चौड़ी कच्ची सड़क, पश्चिमः प्लॉट नंबर 37	रु. 16,11,900/– (रुपये सोलह लाख ग्यारह हजार नौ सौ मात्र)	रु. 1,61,190/– (रुपये एक लाख इकसठ हजार एक सौ नब्बे मात्र)	रु. 55,40,574/– (रुपये पचपन लाख चालीस हजार पांच सौ चौवहत्तर मात्र)

ई–नीलामी की तिथि : 17–09–2024 को मध्या. 11.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ),
बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 16–09–2024 को अप. 4.00 बजे से पूर्व

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये, कृपया **https://www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsale** अथवा **https://www.bankauctions.in** पर उपलब्ध लिंक को देखें।

उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता हेतु सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत 15 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना

उपर्युक्त उधारकर्ता / गारंटर को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना में उल्लिखितानुसार राशि का आज की तिथि तक राशि पर प्रोद्भूतकृत ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जायेगी / उसे बेच दिया जायेगा तथा शेष बकाया राशियां, यदि कोई हो, की वसूली उधारकर्ता / गारंटर से ब्याज एवं लागत सहित की जायेगी।

दिनांक : 24–08–2024 **हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी)**
स्थान : उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड **(अरण्य – ट्रस्ट)**

इंडियन बैंक Indian Bank

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Government of India Undertaking)
इलाहाबाद ALLAHABAD
दबावग्रस्त आस्ति प्रबन्धन शाखा
प्रथम तल, मुख्य शाखा भवन, हजरतगंज, लखनऊ-226001, फोन नं0- 0522-2288988

सूचना

ऋण खाते में पहले शुरू की गई सरफेसी कार्यवाही को वापस लेना
खाता मेसर्स नवदृष्टि एण्ड कम्पनी (50269028881)

बैंक ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 02/05/2018 को डिमाण्ड नोटिस एवं सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत दिनांक 08/11/2019 को कब्जे के नोटिस के साथ विषय ऋण खाते के खिलाफ सरफेसी कार्यवाही शुरू की है।

इस सम्बंध में हम आपको सूचित करते हैं कि कुछ तकनीकी कारणों से हम अपनी पिछली सरफेसी कार्यवाही जैसे कि डिमाण्ड नोटिस दिनांक 02/05/2018 एवं कब्जा नोटिस दिनांक 08/11/2019 को वापस ले रहे हैं। बैंक भविष्य में आपके खिलाफ सरफेसी कार्यवाही शुरू करेगा।

ऋण खाते में पहले शुरू की गई सरफेसी कार्यवाही को वापस लेना
खाता श्री शशांक देव सिंह एवं श्रीमती साधना सिंह (50281869942)

बैंक ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 08/05/2019 को डिमाण्ड नोटिस एवं सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत दिनांक 08/11/2019 को कब्जे के नोटिस के साथ विषय ऋण खाते के खिलाफ सरफेसी कार्रवाई शुरू की है।

इस सम्बंध में हम आपको सूचित करते हैं कि कुछ तकनीकी कारणों से हम अपनी पिछली सरफेसी कार्रवाई जैसे कि डिमाण्ड नोटिस दिनांक 08/05/2019 और कब्जा नोटिस दिनांक 08/11/2019 को वापस ले रहे हैं। बैंक भविष्य में आपके खिलाफ सरफेसी कार्रवाई शुरू करेगा

दिनांकः 06.07.2024 स्थानः लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालय ग्रा.पं. महमदपुर, वि.खं. निगोही, शाहजहांपुर

निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को इस अल्पकालीन निविदा हेतु सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत महमदपुर, की ओर वित्तीय वर्ष 2024-25 में पंचम वित्तीय आयोग/ केन्द्रीय वित्तीय आयोग/ मनरेगा /एस.बी.एम. (ग्रा.) तथा अन्य मद के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि सापेक्ष ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की आपूर्ति हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से सीलबन्द निविदाएं दिनांक 28.08.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय पर12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। जो दिनांक 29.08.2024 को ग्राम पंचायत अध्यक्ष ग्राम प्रधान महोदय के समक्ष 12.00 बजे खोली जायेंगी। जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	कार्य योजना का नाम	प्राकलित सामग्री धनराशि
1	अंत्येष्टि स्थल, पंचायत घर/सामुदायिक शौचालय निर्माण/ आंगनबाड़ी केन्द्र की मरम्मत, एवं अन्य भवन निर्माण/ मरम्मत	प्रथम ईंट, सीमेन्ट, मौरंग, रोड़ी, बजरी, बजरफुट, सरिया, बिजली फिटिंग सामग्री, आदि।
2	विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत विभिन्न कार्य/दिव्यांग शौचालय, बाउंड्रीबाल का निर्माण/ अनुरक्षण	प्रथम ईंट, सीमेन्ट, मौरंग, रोड़ी, बजरी, बजरफुट, सरिया, टाइल्स, सेनेट्री सामग्री, बिजली फिटिंग सामग्री, आदि।
3	इण्टरलाकिंग निर्माण, सी.सी. रोड, खड़ंजा एवं नाली निर्माण/ मरम्मत।	ईंट, खड़ंजा, प्रथम ईंट, सीमेन्ट, मोरंग, रोड़ी, बजरी, बजरफुट, इंटरलॉकिंग टाइल्स, सरिया आदि।
4	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर/ मरम्मत।	प्लास्टिक पाइप, जाली, हैण्डपम्प मशीन, हत्था, गिलास, टापा आदि।
5	ह्यूम पाइप /सैनिटाइजेशन कार्य/ प्रशासनिक कार्य/ अन्य कार्य।	आवश्यकतानुसार।
6	विभिन्न भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य।	प्रथम ईंट, सीमेन्ट, मोरंग, रोड़ी, बजरी, बजरफुट, सरिया, प्लास्टिक पाइप आदि।
7	सफाई ठेली क्रय मरम्मत।	आवश्यकतानुसार।
8	ग्राम पंचायत में वॉल पेन्टिंग कार्य।	आवश्यकतानुसार।
9	ई रिक्शा स्वचालित क्रय।	2.30 लाख
10	कचरा पात्र स्टील बॉडी/प्लास्टिक बॉडी।	3000-7000/ प्रति नग
11	प्लास्टिक बैंक जालीदार लोहे के।	7500/ प्रति नग
12	आर.आर.सी. सेंटर का निर्माण	8.00 लाख
13	सामुदायिक इंसीनरेटर (भस्मक) निर्माण।	18000/ प्रति नग
14	स्वच्छता किट	20000/ प्रति नग
15	नाडेप, वर्मी कम्पोस्ट, खाद के गढ्डे, सोक पिट, लीच पिट, फिल्टर चैम्बर आदि का निर्माण।	प्रथम ईंट, सीमेन्ट, मोरंग, रोड़ी, बजरी, बजरफुट, सरिया, प्लास्टिक पाइप आदि।
16	सोलर लाइट स्थापना /अनुरक्षण।	आवश्यकतानुसार।

नियम एवं शर्तें
1. निविदादाता निविदा के साथ पैन नम्बर, जी.एस.टी. नम्बर की छायाप्रति आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे।
2. समस्त सामग्री ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/पीडब्ल्यूडी के मानक के अनुसार आपूर्ति की जायेगी।
3. निविदादाताओं को सामग्री की आपूर्ति कार्यस्थल पर करनी होगी। जिसका कोई भाड़ा या टैक्स देय नहीं होगा।
4. किसी भी समय ग्राम पंचायत द्वारा बिना पूर्व सूचना के निविदा निरस्त की जा सकती है।

अलका देवी, ग्राम प्रधान **संजीव कुमार सिन्हा, सचिव**

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA
पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400013, सीआईएन नं. : U67190MH2008PLC187552

माँग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (''नियमावली'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अंतर्गत।

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत विस्तृत माँग सूचनाएं दिनांकित निम्नानुसार निर्गत कर दी हैं, जिन सूचनाओं में उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) (सभी एकल रूप में अथवा संयुक्त रूप में ''दायित्वधारकों यानी ऑब्लिगर्स'' के रूप में संदर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों), जिनकी सूची नीचे दी गई है, सभी को संबंधित माँग सूचना/ ओं में अंकित बकाया धनराशियों का, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, भुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियाँ पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई थीं तथा जो अब भी अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त दायित्वधारक(गण)/ विधिक उत्तराधिकारी(गण)/विधिक प्रतिनिधि(गण), यदि वे ऐसा करने के इच्छुक हैं, किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता से संबंधित प्रति/यों प्राप्त कर लें।

उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को एक बार पुन : सूचित किया जाता है कि टीसीएचएफएल को, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उनके संबंधित नामों के समक्ष यहां नीचे इसमें नीचे उल्लिखित धनराशियों का, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध एवं अन्य प्रलेखों/आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित, निम्न स्तंभ (घ) में अंकित संबंधित तिथियों से लेकर के भुगतान तथा/अथवा वसूली होने की तिथि तक आकलित होनेवाले निम्न विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ भुगतान करें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा टीसीएचएफएल के पास क्रमश : निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को बंधककृत किया गया है।

ऋण अनुबंध सं.	दायित्वधारक(कों)/ विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/ विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	कुल बकाया देयराशि (रु.) निम्न तिथियों के अनुसार	माँग सूचना की तिथि तथा एनपीए की तिथि
TCHHF0347000100008904	श्री चैतू प्रसाद (उधारकर्ता) एवं श्रीमती संजीवनी देवी (सह–उधारकर्ता)	दिनाँक 14/08/2024 तक, रु. 18,50,131/– (रुपये अट्ठारह लाख पचास हजार एक सौ इकतीस मात्र) की राशि	14/08/2024 तथा 03/08/2024
10545501	श्री महेंद्र नाथ राय (उधारकर्ता) एवं श्रीमती रेखा राय (सह–उधारकर्ता)	दिनाँक : 14/08/2024 तक, रु. 1,45,87,932/– (रुपये एक करोड़ पैंतालीस लाख सत्तासी हजार नौ सौ बत्तीस मात्र) की राशि	14/08/2024 तथा 03/08/2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरण : प्लॉट नंबर 91 पर निर्मित आवासीय भवन के समस्त वह भाग तथा अंश, जिसकी माप 800 वर्ग फीट यानी 74.349 वर्ग मीटर है, जो खसरा नंबर 1785 (एसए) मिन. में समाविष्ट, बिजनौर, परगना बिजनौर, तहसील सरोजिनी नगर, जिला लखनऊ – 226002 (उत्तर प्रदेश) में स्थित है, साथ ही बिक्री विलेख में उल्लिखित सामान्य सुविधाएं भी। सीमाएं : पूर्व– प्लॉट नंबर 88, पश्चिम– रोड 25' चौड़ी, उत्तर– प्लॉट नंबर 90, दक्षिण– प्लॉट नंबर 92

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरण : आवासीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जिसका क्षेत्राधिमापन 735.41 वर्ग मीटर अर्थात् 7913 वर्ग फीट अर्थात् 6461 वर्ग फीट है, जो अरजी नंबर 38 और 1452 वर्ग फीट में समाहित, अरजी नंबर 39 में समाहित तथा मौजा कर्माजीतपुर, गणेशधाम कॉलोनी नामक इलाका, वार्ड नगवा, परगना देहात अमानत, तहसील सदर और जनपद वाराणसी – 221005 (उत्तर प्रदेश) में स्थित है, बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। इस प्रकार परिसीमित है : पूर्व– उदित कुमार वासुदेवा का प्लॉट, पश्चिम– कॉलोनी रोड, उत्तर– कन्हैया पॉल और राम निहोर पॉल की भूमि, दक्षिण– कृष्णा देवी बघोरिया की भूमि और मकान।

* संबंधित माँग सूचना दिनाँकित उपरोंकित में अधिक विशिष्ट रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि जो कि भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक उपगत हैं। यदि उक्त दायित्वधारक(गण) उपर्युक्तानुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में विफल होंगे, तो टीसीएचएफएल समग्र रूप में लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई करेगी।

उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रति. बंधित किया जाता है कि वे टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति–अनुमति के बिना विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा, उपर्युक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) का हस्तॉंतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उनके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है, उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा/अथवा अर्थदंड दिया जायेगा।

दिनाँक : 24–08–2024 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : लखनऊ **कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

varthana
पंजी. कार्यालयः सं. 5 बीसी-110, वरासिद्धि, तृतीय तल, बाह्य रिंग रोड, सर्विस रोड, तृतीय खंड, एचआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बैंगलोर-560043, **वेबसाइटः** www.varthana.com, **ई-मेलः** care@varthana.com, दूरभाष सं: 080-68455777, **शाखा कार्यालयः** 1162 और 1163, टॉवर बी-1, 11वीं मंजिल, स्पेज | टेक पार्क, सेक्टर 49, सोहना रोड, गुरुग्राम 122018

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) और (3) के अंतर्गत सूचना। हम आपको यह नोटिस प्रदान करते हैं. जिसकी सामग्री आप कृपया नोट कर सकते हैं कि आप सह-आवेदकों / बंधककर्ताओं के साथ उधारकर्ता ने मैसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) (पूर्व में थिरुमेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से संपर्क किया और ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है। यह डिमांड नोटिस 06-08-2024 को जारी किया गया है, जिसकी सामग्री वै